न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 60/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/55)

संदीप कौर पुत्री स्वरूपसिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।

अपीलान्ट

बनाम

1. गुरूमुखसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति जट सिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

.....रेस्पोडेन्ट

2. लवप्रीत पुत्री जसविन्द्र कौर नाबालिक जरिए संरक्षिका मौसी संदीप कौर जाति जट सिख निवासी मोजूखेडा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. हरमीत कौर पुत्री जसविन्द्र कौर नाबालिक जरिए संरक्षिका मौसी संदीप कौर जाति जट सिख निवासी मोजूखेडा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. सरपंच ग्राम पंचायत भूकरदा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप–पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

उपस्थितः श्री विनोद कुमार पुरोंहित – अभिभाषक अपीलान्ट
श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1

निर्णय **दिनांकः 31.07.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के निर्णय दिनांक 05.03.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के अपील संख्या 02/2022 अनवान गुरमुखसिंह बनाम संरपच ग्राम पंचायत भूकरका तहसील नोहर वगैरह, के निर्णय दिनांक 05.03.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 05.03.2024 को निरस्त कर इंतकाल संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 को बहाल रखा जाने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के निमित जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने मुतनाजा भूमि चक 3 बी.के. के. के मुरब्बा नं. 55 किला न. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 कुल 7 किला तादादी 1.3280 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह की कृषि भूमि अंकित रही थी जो उनकी पैतृक कृषि भूमि थी। अपीलान्ट के पिता स्वरूपसिह का देहान्त दिनांक 01.07.2020 को हो गया। उसके बाद उनके जायज वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 मे कृषि भूमि निहित हो गई। जिसका विरासतन इंतकाल 483 दिनांक 29.01.2022 ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा स्वीकृत किया गया, जो विधि सम्मत था। अदालत मातहत के संमक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपने पक्ष में हुई वसीयत के आधार पर इंतकाल 483 दिनांक 29.01.2022 को निरस्त करने हेतु प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे रेस्पोडेन्ट सं. 1 को प्रस्तुत करने का अधिकार नही था। अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिंह की विवादित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि थी जो स्वरूपसिह को श्रवणसिह पुत्र विश्नसिह से विरासतन प्राप्त हुई, इसलिए विवादित भूमि पैतृक भूमि थी। उक्त कृषि भूमि में कानून सभी वारिसो का बहिस्सा बराबर होता है। स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह द्वारा की गई तथाकथित वसीयत दिनांक 24.07.2018 केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे की गई जो विधि विरूद्व थी। अदालत मातहत की पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे साबित हो की विवादित भूमि स्वरूपसिह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। कानूनन स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत की जा सकती थी। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी। इस मियाद बाहर अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय ही पारित नही किया गया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय का आधार तहसील नोहर के समक्ष प्रस्तुत वसीयत प्रकरण मे आपत्ति नही किये जाने का अंकन किया गया है। जबकि सही तथ्य यह है कि तहसीलदार नोहर के संमक्ष विचाराधीन वसीयत प्रकरण दिनांक 25.08.2020 तक ही चला था।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उसके बाद पत्रावली लगभग 2 साल तक पेशी मे ही नही ली गई। फिर विरासतन इंतकाल संख्या 483 जब दिनां 29.01.2022 को स्वीकृत हो गया तब राजस्व अमला माल से रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने साजकर अपने पक्ष में दिनांक 06.04.2022 को निर्णय करवा लिया। उक्त निर्णय कानूनन विधि सम्मत नही था। जिसको आधार बनाकर अदालत मातहत ने निर्णय करने में गलती की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा पूर्व मे अपने अधिकारो की घोषणा किये जाने हेतु एक नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत किया था। जो पूर्व मे खारित हो चुका था। यह तथ्य भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये थे फिर भी निर्णय पारित किया गया है। वसीयत के आधार पर तहसीलदार नोहर द्वारा जो निर्णय दिनांक 06.04.2022 को पारित किया है उसके विरूद्व अपील विचाराधीन है एवं तथाकथित वसीयत को निरस्त किये जाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय मे कार्यवाही चल रही है। ये तमाम बिन्दु अदालत मातहत के समक्ष थे फिर भी इंतकाल संख्या 483 को खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2024 निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 बहाल रखा जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट ने Revenue Court Manual प्रावधान के विपरित अपील पेश की है, संदीप कौर अपीलान्ट है और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 संरक्षिका मौसी मे संदीप कौर रेस्पोडेन्ट है। यह अपील डिफेक्टिव है, CPC में ऐसा कोई प्रावधान नही है। अपील गलत पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 का पिता जिन्दा है, दूसरा कोई संरक्षिका नही बन सकता है। कुदरती वली के लिए सिविल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में कार्यवाही हो चुकी है। अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1986 पृष्ठ 253, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस का प्रतिउत्तर देते हुए कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 नाबालिक है इनंका पिता मर चुका है ये बात अधीनस्थ न्यायालय मे आ चुकी है। इनकी संरक्षक मौसी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संदीप कौर है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत गौर करने लायक नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2024 निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 बहाल रखा जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुये उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के निर्णय दिनांक 05.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर उभयपक्षों को सुनकर एवं अपर जिला कलक्टर नोहर मे विचाराधीन अपील को ध्यान मे रखते हुए पुनः निर्णय पारित करने का निर्देश दिया। पत्रावली के बहस के दौरान अभिभाषकगणों ने कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा उक्त विवादित भूमि बाबत तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 06.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में दिनांक 16.04.2024 को निर्णय पारित किया जा चुका है, अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 16.04.2024 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 74/2024 गुरमुखसिंह बनाम संदीप कौर वगैरह प्रस्तुत हो चुकी है। इसलिए यह अपील प्रभावहीन (Infructuous) हो चुकी है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर